

श्रीभगवान बनाम रोहतान वगै०
मु०नं० 07/2020
दावा अ०धा० 53,88 आरटीए

दिनांक - 25.01.2021 वकील वादी उपरिथत। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ख.नं. 1338/434 रकबा 2.5600 है० वाके ग्राम सूरजगढ़ को तहसीलदार सूरजगढ़ क्रमांक भू०अ०/2021/137 दिनांक 19.01.2021 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।



(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

